मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स् भोपाल (मध्यप्रदेश) पिन–462011
फोन–0755–2570433 फैक्स : 0755 –2556619
E mail: - sunilasharmaraja@gmail.com, mpsacs@gmail.com Website: - www. mpsacsb.org

क्र. / एड्स / एस.पी.एम / 20–21 / 396 भोपाल, दिनांकः 08 / 02 / 2021

प्रति,

1. अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक, एनसीएल, सिंगरौली।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, पश्चिमी कोयल क्षेत्र, पीओ, पाठाखेड़ा, जिला बैतूल।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, पश्चिमी कोयला क्षेत्र, कान्हा एरिया, डुंगरिया, जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा।
4. क्षेत्रीय प्रबंधक, पश्चिमी कोयला क्षे,त्र पंच एरिया, परासिया, जिला छिंदवाड़ा।
5. प्रबंध निदेशक, भारत पेट्रोलियम, भोपाल।
6. प्रबंध निदेशक, इंडियन ऑयल, भोपाल।
7. प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भोपाल।
8. प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
9. प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, भोपाल।
10. महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड म.प्र. भोपाल।
11. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम, भोपाल।

विषय : संयुक्त कार्य समूह–01 की बैठक दिनांक 05 / 02 / 2021 का कार्यवाही विवरण।

समिति द्वारा प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकमों / विभागों के साथ समन्वय हेतु संयुक्त कार्य समूह की बैठक दिनांक 05 / 02 / 2021 को समिति कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गयी थी, जिसका कार्यवाही विवरण आपकी ओर सुलभ संदर्भ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– कार्यवाही विवरण।

(डॉ. के.डी. त्रिपाठी)
आई.ए.एस.
परियोजना संचालक

प्रतिलिपि–
क्र. / एड्स / एस.पी.एम / 20–21 / 397 भोपाल, दिनांकः 08 / 02 / 2021

1. डॉ. नरेश गोयल, उपमहानिदेशक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार, 09 वीं मंजिल, चंद्रलोक भवन, 36–जनपथ, नई–दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना संचालक

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

संयुक्त कार्य समूह (पी.एस.यू.) की बैठक दिनांक 05.02.2021 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 05 फरवरी 2021 को संयुक्त कार्य समूह (पी.एस.यू.) की बैठक श्री के.डी. त्रिपाठी, भा.प्र.से., परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक मे पीएसयू/विभागों से निम्नांकित प्रतिभागी सम्मिलित हुये–

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय–

1. श्री टशी फुच्रोज, भारत पेट्रोलियम, डिपो प्रभारी, (राज्य), बकानिया डिपो, भोपाल।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय–

2. श्री अमित सेन, रीजनल अधिकारी, (एन.एच.ए.आई.) भोपाल।

दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय–

3. श्री आनन्दकृष्ण वर्मा, उपमंडल अभियंता, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, भोपाल।

कोल मंत्रालय–

4. डॉ.साइदूलू गेडाम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, पश्चिमी कोयला क्षेत्र, परासिया, छिन्दवाडा। (ऑनलाइन)
5. डॉ. सुकांता बसु, पश्चिमी कोयला क्षेत्र, कन्हान एरिया, डुंगरिया, छिन्दवाड़ा। (ऑनलाइन)
6. डॉ मिलिंद मोघे, ए.एम.ओ., पश्चिमी कोयला क्षेत्र, पाताखेडा, बैतूल। (ऑनलाइन)
7. डॉ. चेतन गढे., डिप्टी मेडिकल सुपरीटेंडेंट, पश्चिमी कोयला क्षेत्र, पाताखेडा, बैतूल। (ऑनलाइन)
8. डॉ. डी.जे. बोरा, उत्तरी कोयला क्षेत्र, सिंगरौली। (ऑनलाइन)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार, नई–दिल्ली–

9. श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्रीय समन्वयक, आईईसी, नाको, भारत सरकार, नई–दिल्ली। (ऑनलाइन)

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल–

10. श्रीमती सविता ठाकुर, संयुक्त संचालक (आईईसी) म0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति।
11. सुश्री सुनीला शर्मा राजा, उप संचालक (सामजिक सुरक्षा एवं मुख्यधारा) म0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति।
12. श्री पारस गुप्ता, पीपीटीसीटी कंसल्टेंट, यूनिसेफ, म.प्र.।
13. श्री दर्पण चौबे, प्रोग्राम ऑफिसर, टी.एस.यू., म.प्र.।
14. श्री घनश्याम नागेश, डी.ए. (मेनस्ट्रीमिंग) म0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति।

1. सर्वप्रथम परियोजना संचालक, डॉ. त्रिपाठी ने संयुक्त कार्य समूह के महत्व को रेखांकित करते हुए जानकारी दी कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरकार के निम्नानुसार मंत्रालयों के साथ एमओयू (समझौता पत्र) हस्ताक्षरित किया गया है:–
   1. **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
   2. **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**
   3. **दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
   4. **कोल मंत्रालय**
   5. **इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

एमओयू के आधार पर प्रदेश में संचालित विभिन्न पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की एचआईवी–एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश स्तर पर संयुक्त कार्यसमूह गठित किये गये हैं। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इंडियन ऑयल भोपाल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम भोपाल व म.प्र. सड़क विकास निगम, भोपाल, के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से नामाकित प्रतिनिधि की जानकारी प्रेषित की जावे।

2. परियोजना संचालक, ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि यू एन एड्स द्वारा वर्ष 2030तक एचआईवी–एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत अनुमानित एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों में से लगभग 95 प्रतिशत को अपनी एचआई वी स्थिति का ज्ञान होना चाहिये ताकि उन्हें एआरटी उपचार से जोड़ कर उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके तथा एचआईवी के कारण होने वाली मृत्यू की दर को कम किया जा सके।

3. उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि एचआईवी की जांच को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। इस हेतु सभी पीएसयू द्वारा संचालित अस्पतालों में एचआईवी स्क्रीनिंग हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति इस हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने को तत्पर है अतः एफआईसीटीसी की स्थापना करना तथा उसके सुचारू संचालन हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। पीएसयू के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा की गई स्कीनिंग की कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया, जो इस प्रकार हैः–

PSU Hospitals Update

S. No.	PSU Name	District	Hospital	Active	Number of clients tested for HIV Apr 19 - Mar 20	Number of clients tested for HIV Apr 20 - Dec 20
ICTC						
1	Northern Coalfields Ltd. (NCL)	Singroli	Nehru shatabdi	Active	6386	2147
FICTC						
1	Western Coalfields Ltd. (WCL)	Betul	FICTC PATHAKHEDA/ SARNI	Active	940	125
2	Bharat Heavy Elactrical Ltd (BHEL)	Bhopal	FICTC KASTURBA GANDHI	Active	0	0
3	Western Coalfields Ltd. (WCL)	Chhindwara	FICTC KANHAN WCL	Active	0	0
4	Western Coalfields Ltd. (WCL)	Chhindwara	FICTC BARKUHI	Deactive	0	0
5	National Thermal Power Corporation Limited (NTPC)	Singroli	FICTC NTCP VIDHYA NAGER	Active	1087	476
Under MOU Model C						
1	South Eastern Coalfields Ltd. (SECL)	Umaria	Regional Hospital, Kotma	Active	0	0
2	South Eastern Coalfields Ltd. (SECL)	Anuppur	Regional Hospital, Nawrazabad	Active	77	32
3	South Eastern Coalfields Ltd. (SECL)	Shahdol	Burhar Central Hospital	Active	95	33
4	Gas Authority of India Ltd. (GAIL)	Guna	GAIL Hospital	Active	46	13
5	National Fertilizers Ltd. (NFL)	Guna	NFL Hospital	Active	9	4
6	National Mineral Development Corporation (NMDC)	Panna	NMDC Hospital	Active	50	112

4. BHEL Bhopal, Western Coalfields Ltd. (WCL) Kanhan, Chhindwara , Western Coalfields Ltd. (WCL) Barkuhi, Chhindwara, South Eastern Coalfields Ltd. (SECL) Kotma Umaria में चालू वर्ष और गतवर्ष कोई स्कीनिंग नही की गई है, जो उचित नही है।
5. समस्त कर्मचारियों, उच्च जोखिम वाले प्रवासी श्रमिकों एवं ट्रक चालकों के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर कम्यूनिटी बेसड् स्कीनिंग को बढ़ावा दिया जाये। इस हेतु समिति के साथ संबद्ध एनजीओ एवं जिले की इकाइयों से सहयोग प्राप्त किया जाए। इसी प्रकार संस्थान में कार्यरत सभी प्रवासी मजदूरों एवं ट्रकर्स हेतु जागरूकता गतिविधियों एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना एवं सीबीएस के माध्यम से अधिक से अधिक एचआईवी काउंसलिंग एवं स्कीनिंग की रणनीति बनाई गई।
6. यह भी निर्णय लिया गया कि सभी इकाइयों के प्रशिक्षणें में एचआईवी/एड्स जागरूकता के विषय को मुख्य रूप से जोड़ा जाये। म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा तैयार की गई प्रचार–प्रसार सामग्री का उपयोग इन इकाइयों की सोशल मीडिया साइट्स पर तथा वेबसाइट में किया जा सकता है। साथ ही अन्य मुद्रित सामग्रियों में भी 1097 हेल्पलाइन नंबर एवं कुछ प्रमुख संदेश अंकित किये जा सकते है। इन गतिविधियों हेतु सीएसआर मद के बजट का उपयोग किया जा सकता है।
7. परियोजना संचालक, ने "एचआईवी एण्ड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017" की जानकारी देते हुए यह बताया कि एक्ट के अनुसार आवश्यक रूप से "शिकायत अधिकारी" नामांकित किया जाना है। कार्यस्थलों पर भेदभाव मुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु एचआईवी/एड्स की पॉलिसी लागू करना चाहिये।
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विभागों में एचआईवी/एड्स कार्यक्रम समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
9. विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ विभागों द्वारा एच.आई.व्ही. की रोकथाम तथा जागरुकता हेतु विभागीय एक्टीविटी कलेण्डर समिति कार्यालय को उपलब्ध कराए तथा की गई गतिविधियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एचआईवी/एड्स विषय को अनिवार्य रूप से शामिल कर गतिविधि की विस्तृत रिपोर्ट समिति कार्यालय को प्रेषित की जाए।
10. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो/विभागों द्वारा जिले एवं निचले स्तर की ईकाईयों तक निर्देश/संदेश जारी किया जाए।
11. एच.आई.व्ही./एडस पीडितों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान किया जाए।
12. पीएसयू इकाइयों के उपस्थित अधिकारियों ने इस बैठक को बहुत उपयोगी बताया तथा एमओयू के अनुसार आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने हेतु परियोजना संचालक डॉ. के.डी त्रिपाठी को आश्वस्त किया। यह बैठक ऑन लाइन एवं ऑफलाइन मिक्स मोड में आयोजित की गई।

(डॉ. के.डी. त्रिपाठी)
आई.ए.एस.
परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति,
भोपाल